

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

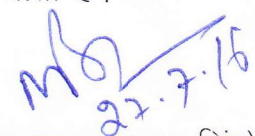
आदेश

श्री मदन प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो के विरुद्ध योजनाओं में कार्यान्वयन में अनियमितता बरतने के आरोप में विभागीय संकल्प सं०-4406 दिनांक-05.08.2013 के द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम 43 बी के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. इसी बीच दिनांक- 19.01.2014 को श्री सिंह की मृत्यु हो गयी है। मृत व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। अतः इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

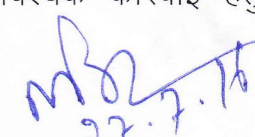
3. उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापाक : 3918 राँची/दिनांक 01.08-16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव(प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बोकारो/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव